न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/457

1. आदर्श ग्राम पंचायत गैंता पंचायत समिति इटावा जरिये सरपंच ।
2. प्रहलाद नागर पुत्र श्री भैरूलाल नागर ।
3. लाल चन्द आत्मज श्री औंकार धाकड ।
4. महावीर चेला तारानाथ ।
5. हेमराज पुत्र श्री रामगोपाल धाकड निवासीगण गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. भजन लाल तथाकथित चेला तारानाथ जाति नाथ निवासी गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. ओम प्रकाश पुत्र श्री दुर्गाशंकर जाति सुनार निवासी चन्द्रा मार्केट इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. विनोद पुत्र श्री दुर्गाशंकर जाति सुनार निवासी चन्द्रा मार्केट इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 23.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा जिला कोटा द्वारा पारित संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 90 के अन्तर्गत ग्राम गैंता तहसील पीपल्दा की कुल 12 किता की 140 बीघा 08 बिस्वा भूमि में से कुल 66 बीघा 14 बिस्वा भूमि सीलिंग में चले जाने से शेष 09 किता की 73 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर कायम कर कुल 08 किता की 10.37 हैक्टर भूमि कायम की गई । वादी ने अपने वादपत्र में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की

डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी जो सेटलमेंट पूर्व खातेदारी में दर्ज थीर तथा बाद सेटलमेंट राजस्व विभाग द्वारा गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया उसे दुरूस्त कराया जाकर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी को खातेदार घोषि किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.08.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.08.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में तनकीयात कायम किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो राजस्व मण्डल के निर्देशों की अवहेलना है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 02 रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित करने में भारी त्रुटि की है । प्रस्तुत प्रकरण में यह विवादित नहीं है कि विवादित भूमि चाकरी टीडी टाल की है जो जमाबन्दी 2005 से 2007 से पूर्व भी प्रमाणित मानी गई थी माफी रिज्यूम हो चुकी है जिसे रेस्पोडेन्ट की गैर खातेदारी में दर्ज थी माफी चाकरी सर्विस ग्रान्ट होती है जो कोटा स्टेट के समय ऐसे व्यक्ति के नाम मंजूर की जाती थी जो गॉव की फसलों को बचाने के लिये टिड्डियों के दल का गॉव के खेतों में प्रवेशन नहीं करने दे जिससे फसलें सुरक्षित रह जावे ऐसी भूमि प्रत्येक अवस्था में विपेज सर्विस ग्रान्ट होती है जिनकी खातेदारी टीनेन्सी एक्ट की धारा 190 से 193 में जब तक जिला कलक्टर यह घोषित कर दे कि अब विपेज सर्विस की आवश्यकता नहीं है तब ही गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज की जा सकती है जबकि पत्रावली में रेस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है जिससे रेस्पोडेन्ट को खातेदारी दी जा सकती है । इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.08.2012 के पैरा नं0 15 में स्पष्ट रूप से विवेचित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायालय के अपील के निर्णय दिनांक 14.08.2012 में वर्णित कानूनी स्थिति वह न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई के विपरीत है जो निरस्तनीय है हालांकि राजस्व मण्डल न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया लेकिन राजस्व मण्डल न्यायालय ने अपने निर्णय में इस न्यायालय के विवेचन को गलत नहीं माना केवल मात्र यह माना है कि अपील को आंशिक स्वीकार कर रिमाण्ड किया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सरकार को सूचित किये तथा सुनवाई का अवसर दिये निर्णय किया है जो निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यही है कि वादग्रस्त आराजी माफी चाकरी टीडी टाल की भूमि है जो गैर खातेदारी में दर्ज थी उस पर खातेदारी प्राप्त कैसे होगी ? इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.08.2016 निरस्त फरमाया जावे।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ठिकाना खास आराजी ठिकाना खास तारानाथ गुरू रामनाथ नाथ के खातेदारी में दर्ज थी । उक्त भूमि के सम्बन्ध में सीलिंग का केस चला था और सीलिंग सीमा से अधिक भूमि मानते हुए कुछ भूमि

अधिग्रहण की गई तथा शेष भूमि 73 बीघा 14 बिस्वा भूमि का वादी रेस्पोडेन्ट को रखने का अधिकारी माना था । उक्त भूमि को श्री तारानाथ के खाते की भूमि मानकर ही सीलिंग सीमा में अधिग्रहित की गई थी । नामान्तरकरण संख्या 666 के अन्तर्गत मृतक तारानाथ की बजाय श्री भजनलाल चेला तारानाथ का नाम दर्ज खाते करने का आदेश पारित किया । न्यायालय जिला जज दिवानी विविध प्रकरण संख्या 59/1984 दिनांक 26.02.1991 के अनुसार माननीय जिला जज महोदय कोटा द्वारा वादी कम 1 रेस्पोडेन्ट को तारानाथ का वसीयती उत्तराधिकारी स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में प्रोबेट जारी किया हुआ है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार पीपल्दा द्वारा राजस्थान राजगामित्व अधिनियम के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील किये जाने पर उक्त कार्यवाही अपास्त कर दी गई । इसके अतिरिक्त उक्त के खण्ड में पर्याप्त असर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे साबित हो कि वादग्रस्त आराजी धारा 190 व 193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावित हो और रेस्पोडेन्ट कम 1 अथवा उससे पूर्व तारानाथ को विवादित भूमि विपेज सर्विस ग्रांट की हुई हो । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.08.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आर.आर.डी. 1991 पेज 540, आर.आर.डी. 1989 पेज 651 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन करने पर साबित है कि वादग्रस्त आराजी ठिकाना खास आराजी ठिकाना खास तारानाथ गुरू रामनाथ नाथ के खातेदारी में दर्ज थी । उक्त भूमि के सम्बन्ध में सीलिंग का केस चला था और सीलिंग सीमा से अधिक भूमि मानते हुए कुछ भूमि अधिग्रहण की गई तथा शेष भूमि 73 बीघा 14 बिस्वा भूमि का वादी रेस्पोडेन्ट को रखने का अधिकारी माना था । उक्त भूमि को श्री तारानाथ के खाते की भूमि मानकर ही सीलिंग सीमा में अधिग्रहित की गई थी । नामान्तरकरण संख्या 666 के अन्तर्गत मृतक तारानाथ की बजाय श्री भजनलाल चेला तारानाथ का नाम दर्ज खाते करने का आदेश पारित किया । न्यायालय जिला जज दिवानी विविध प्रकरण संख्या 59/1984 दिनांक 26.02.1991 के अनुसार माननीय जिला जज महोदय कोटा द्वारा वादी कम 1 रेस्पोडेन्ट को तारानाथ का वसीयती उत्तराधिकारी स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में प्रोबेट जारी किया हुआ है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार पीपल्दा द्वारा राजस्थान राजगामित्व अधिनियम के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील किये जाने पर उक्त कार्यवाही अपास्त कर दी गई । इसके अतिरिक्त उक्त के खण्ड में पर्याप्त असर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे साबित हो कि वादग्रस्त आराजी धारा 190 व 193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावित हो और रेस्पोडेन्ट कम 1 अथवा उससे पूर्व तारानाथ को विवादित भूमि विपेज सर्विस ग्रांट की हुई हो । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर ना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.08.2016 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 23.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा